



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 258 राँची, शुक्रवार, 22 जेष्ठ, 1942 (श०)
12 जून, 2020 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना
12 जून, 2020

एस० ओ०-25- दिनांक-12 जून, 2020--पशुपालन घोटाले से संबंधित सभी दण्डनीय अपराधों के या उनके किसी अपराध करने के षड्यंत्र या प्रयास अथवा दुष्प्रेरणा से उद्भूत मामलों के त्वरित विचारण हेतु भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम-49) की धारा-3, 4 एवं 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-818/जे०, दिनांक-11.06.2001 से 07 (सात) विशेष न्यायालय गठित किये गए थे तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर इनकी अवधि लगातार विस्तारित की जाती रही है। विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1254/जे०, दिनांक-13.06.2017 द्वारा उक्त गठित 07 (सात) विशेष न्यायालयों में से 05 (पाँच) विशेष न्यायालयों को गत बार दिनांक- 15.06.2020 तक विस्तारित किया गया है।

2. केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो, राँची से प्राप्त अधियाचना के आलोक में उपर्युक्त 05 (पाँच) विशेष न्यायालयों में से 03 (तीन) विशेष न्यायालयों का माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से दिनांक-16.06.2020 से अगले तीन वर्षों यथा दिनांक-15.06.2023 तक अवधि विस्तार किया जाता है।

(ए0/सी0सी0-01/2000-903/जे0)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी ।

विधि विभाग

अधिसूचना

12 जून, 2020

एस० ओ०-25-दिनांक-12 जून, 2020--भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 की धारा-3, 4 एवं 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में झारखण्ड राज्यपाल द्वारा गठित सात विशेष न्यायालयों में से 05 (पाँच) विशेष न्यायालयों को अगले तीन वर्षों तक अर्थात् दिनांक- 15.06.2020 तक कार्यरत रहने का निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

(ए0/सी0सी0-01/2000-903 /जे0)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी ।

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

12th June, 2020

S.O.-25-dated-12th June, 2020--In exercise of the powers conferred by Section-3, 4 and 5 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No.-49 of 1988) in consultation with the Hon'ble Jharkhand High Court, the Governor of Jharkhand established 07 (Seven) Special Courts for Speedy trial of offences or conspiracies to commit any such offences or attempt to commit any such offences or abetment for commission of such offences, punishable under Prevention of Corruption Act, 1988 relating to AHD Scam Cases vide Law Department's Notification No.-818/J, dated 11-06-2001 and extended their duration time-to-time as required. Lastly, the duration of 05 (Five) Special Courts out of the above 07 (Seven) Special Courts was extended till 15-06-2020 vide Law Department's Notification No.-1254/J, dated 13-06-2017.

2. On the basis of requisition of Central Bureau of Investigation, Ranchi, the duration of 03 (three) Special Courts are extended out of above 05 (Five) Special Courts for further three years from 16th June, 2020 to 15th June, 2023, in consultation with the Hon'ble Jharkhand High Court.

(File No.- A/CC-1/2000- 903 /J)

By the order of Governor of Jharkhand

Pradeep Kumar Srivastava

Principal Secretary-cum-L.R.

Law Department, Govt. of Jharkhand
